संख्या-38/2021/1032/22-2-2020-17(411)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महमूद आलम पुत्र श्री कमरूद्दीन, निवासी जनपद-प्रयागराज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महमूद आलम पुत्र श्री कमरूद्दीन, जो सराय इस्माइल, थाना-उतरॉव, जनपद-प्रयागराज का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी मुकदमे की रंजिश को लेकर दिनांक 26.03.1994 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-43/1995 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149, 504/149, 506/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-08, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 11 वर्ष 08 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 05 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध की प्रकृति, भोगी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी महमूद आलम (बन्दी संख्या-484/09) पुत्र श्री कमरूद्दीन, निवासी जनपद-प्रयागराज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-38/2021/1032(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in